प्रवेष विवरणिका

(सत्र 2020–2021)

पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड

पिन कोड – 244715

फोन / फैक्सः 05947251326

ईमेलः principal_pngrmr@yahoo.co.in

वेबसाइटः www.gpgcramnagar.org

P.N.G. Govt. P.G. College, Ramnagar (Nainital

Vision of The College

To impart holistic education based on the gospel values of love, justice, equality and peace to students from all strata of society and enable them to develop as intellectually matured morally upright, socially responsible and spiritually inspired leaders to serve the society and the nation.

Mission of The College

- To built a Knowledge and learning institution to serve the voluntary and professional sector From our experiences gleaned from different courses.
- To pilot UGC curriculum based on complemporary thinking and through action, learning and research to refine the process of techno-scientific achievements.
- To promote the creation of civic institution and voluntarism within communities.
- To promote Indian philanthropy both at the individual and social level to benefit the least advantaged section of society.
- To shape the students into agents of social change by incorporating the values of good Citizen, scientific temperament and rational thinking.
- The learning processes and experiences are geared to liberate, transform and empower the learner and the learned (Teachers).

1. परिचय

गढ़वाल एवं कुमायूँ के प्रवेश द्वार पर अवस्थित रामनगर, प्रदेश के दोनों मण्डल कुमायूँ तथा गढ़वाल के सीमावर्ती पर्वतीय अंचल की उच्च शिक्षा की आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति को अग्रसर पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना अगस्त 1975 में नगर के सम्भ्रांत निवासियों द्वारा एक अशासकीय महाविद्यालय के रूप में की गयी। अगस्त 1976 में शासन द्वारा इस महाविद्यालय का राजकीयकरण किया गया। स्नातक स्तर पर कला वर्ग के छः विषयों से प्रारम्भ हुआ। यह महाविद्यालय वर्तमान में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय के 17 विषयों में स्नातक तथा 14 विषयों स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहा है। विभिन्न विभागों में शोधार्थी शोध कार्यों में संलग्न हैं। महाविद्यालय में 06 व्यावसायिक पाठ्यक्रम – इको टूरिज्म, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन, कार्यालय प्रबन्धन, टूरिज्म स्टडीज, कम्प्यूट्राइज्ड एकाउन्टिग में डिप्लोमा तथा योग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का संचालन किया जा रहा है। स्ववित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में बी0एड0 पाठ्यक्रम भी 2008–09 से संचालित किया जा रहा है।

ऐसे छात्र जो नियमित रूप से कक्षा में नहीं जा पाते हैं उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अन्तर्गत यह सुविधा इस महाविद्यालय में उपलब्ध है। महाविद्यालय की कुल छात्र संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। महाविद्यालय में प्राध्यापकों के 46 पद स्वीकृत हैं जिसमें 32 पदों में पूर्ण कालिक व 07 पदों में संविदा तथा अतिथि प्राध्यापक कार्यरत हैं। गत वर्षों में महाविद्यालय का परीक्षाफल सराहनीय रहा।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 136 छात्र–छात्रायें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण रहे तथा सत्र 2019–20 में 04 छात्र–छात्राओं ने नैट परीक्षा उत्तीर्ण की। गत सत्र में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या लगभग 52,011 एवं जर्नल्स की संख्या लगभग 222 है। महाविद्यालय परिवार को सूचित करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को दो बार राज्य स्तर पर सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है और हम प्रयासरत हैं कि इसे बनाये रखें। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय सेवा योजना के 02 प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव रायपुर (म0प्र0) में प्रतिभाग किया। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 03 इकाईयाँ कार्यरत हैं।

महाविद्यालय में एन0सी0सी0 की 79 बटालियन तथा 24 अल्मोड़ा महिला बटालियन की एक–एक सब यूनिट कार्यरत हैं। महाविद्यालय के एन0सी0सी0 कैडेट का भारतीय सेना में कमीशन हेतु चयन हुआ है। क्रीड़ा उपलब्धियों की दृष्टि से इस महाविद्यालय का विशिष्ट स्थान है। सत्र 2019–20 में महाविद्यालय की खो–खो (छात्रा) टीम, क्रिकेट (छात्र) टीम और योगा (छात्र) टीम, बॉक्सिग (छात्र) एवं फुटबॉल (छात्र) पॉच टीमें अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता में उपविजेता रही। महाविद्यालय की छात्रा नेहा का महिला बॉक्सिग में राष्ट्रीय स्तर हेतु चयन हुआ। वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिग एवं एथलेटिक्स (छात्र/छात्रा वर्ग) में कुल चार स्वर्ण, तीन रजत एवं चार काँस्य पदक प्राप्त किये। कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल की ड्रॉप रो–बॉल प्रतियोगिता के छात्रा वर्ग में ममता रावत ने स्वर्ण पदक एवं छात्र वर्ग में अमन शर्मा एवं विवेक थापा ने रजत

पदक प्राप्त किये। विश्वविद्यालय के मिनी गोल्फ टीम में महाविद्यालय के छात्र रोहित ने एक स्वर्ण एक रजत एवं तीन काँस्य पदक जीते। 2016–17 में भौतिक विज्ञान व इतिहास विषयों में संचालन का शासनादेश महाविद्यालय को प्राप्त होने के फलस्वरूप अब दोनों विषय संचालित हो रहे हैं।

वर्तमान में महाविद्यालय के विविध संकायों के अन्तर्गत अधोलिखित विषयों के शिक्षण की व्यवस्था है–

स्नातक कक्षाएँ

विज्ञान संकाय – भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित, भूगोल
कला संकाय – हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीतिविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र. मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, संगीत।
वाणिज्य संकाय – समस्त सम्बन्धित विषय।

स्नातकोत्तर कक्षाएँ

विज्ञान संकाय – रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान. गणित एवं भौतिक विज्ञान।
कला संकाय – हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र. मनोविज्ञान. भूगोल. राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इतिहास।
वाणिज्यसंकाय – एम. कॉम.

व्यावसायिक कक्षाएँ

डिप्लोमा /पी.जी. डिप्लोमा कोर्स/सर्टिफिकेट कोर्स – 1. योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा। (60 सीट)
– 2. पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन। (40 सीट)
– 3. पर्यटन अध्ययन। (40 सीट)
– 4. कार्यालय प्रबन्धन एवं सचिवीय पद्धति। (40 सीट)
– 5. कम्प्यूटराईज्ड एकाउटिंग। (40 सीट)
– 6. ईको टूरिज्म। (40 सीट)

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम – शिक्षा स्नातक (बी.एड.) (सेमेस्टर प्रणाली) (50 सीट)

मानकानुसार स्नातक (प्रथम वर्ष) में प्रवेश हेतु अधिकतम छात्र संख्या

पाठ्यक्रम (प्रथम वर्ष)	बी0 ए0	बी0 कॉम0	बी0 एस–सी0 (गणित)	बी0 एस–सी0 (जीव विज्ञान)
मानकानुसार प्रवेशार्थियों की संख्या	320	160	120	120

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा नियुक्त निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के आधार पर स्नातक (प्रथम वर्ष) की विषयवार संख्या

विषय	हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	अर्थशास्त्र	इतिहास	समाजशास्त्र	राजनीतिशास्त्र	मनोविज्ञान	भूगोल	गृहविज्ञान	संगीत	भौतिकविज्ञान	रसायन विज्ञान	जन्तु विज्ञान	वनस्पति विज्ञान	गणित	वाणिज्य
संस्तुत छात्र संख्या	240	80	80	240	240	240	240	120	80	60	60	60	120	60	60	60	160

2. प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रत्येक कक्षा में प्रवेश लेने के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के वेब साइट (kunainital.ac.in) या (kuadmission.ac.in) पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों का विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट : www.gpgcramnagar.org पर उपलब्ध है।
2. समस्त प्रवेशार्थी प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं समस्त अर्ह प्रमाण पत्रों की छायाप्रति (मूल प्रमाणपत्रों सहित) महाविद्यालय प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को, जो कि महाविद्यालय के सूचना पट पर दिनांक 11–07–2020 से चस्पा की जायेगी, के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे।

3. विश्वविद्यालय नियमानुसार अमान्य संस्था से उतीर्ण प्रवेशार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

4. प्रवेश समिति समस्त आवेदन पत्रों को उपलब्ध संसाधनों, सीटों की संख्या एवं कुमाऊँ विश्वविद्यालय से प्राप्त नियमों तथा शासन के निर्देश एवं मानकानुसार योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश संस्तुत करेगी।

5. प्रवेश समिति प्रवेश के लिए अर्ह प्रवेशार्थियों के साक्षात्कार के उपरान्त संस्तुत प्रवेशार्थियों की सूची प्राचार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। जिन प्रवेशार्थियों का प्रवेश प्राचार्य द्वारा स्वीकृत (verified) हो जायेगा, वे प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर शुल्क जमा करेंगे, तत्पश्चात अगली मेधा सूची के विद्यार्थियों का प्रवेश वरीयता के अनुसार संस्तुत किया जायेगा।

6. यदि किसी छात्र के अध्ययन काल में व्यवधान आ गया है तो उसे प्रवेश तभी दिया जा सकता है, जब वह अध्ययन में व्यवधान के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम न्यायालय के नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र तथा उपर्युक्त अवधि का राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, साथ ही यह प्रवेश तभी दिया जाएगा जबकि वह प्रवेश नियमों की निर्धारित योग्यता रखता हो।

7. बी.एड. में प्रवेश कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तथा उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशों एवं **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्** (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

3. आवेदन कैसे करें।

प्रवेशार्थी जो गत वर्ष इस महाविद्यालय का छात्र रहा हो, उसे अगली कक्षा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ केवल विगत परीक्षा के अंकपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। अन्य प्रवेशार्थियों को निम्न स्वप्रमाणित अर्ह संलग्नकों के साथ प्रवेश आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करनी होगी।

स्वप्रमाणित संलग्नकों की सूची :–

1. हाईस्कूल /समकक्ष परीक्षा के अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
3. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा के अंकपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
4. अन्तिम शिक्षण संस्था से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाणपत्र की मूल प्रति।
5. अन्तिम शिक्षण संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाणपत्र की मूलप्रति।
6. यदि अर्हता परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो तो राजपत्रित अधिकारी से सम्बन्धित अवधि का चरित्र प्रमाण पत्र।
7. यदि अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के बाद अध्ययन में अवरोध आया हो तो संदर्भित अवधि में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश न लिये जाने एवं किसी परीक्षा में सम्मिलित न होने सम्बन्धी शपथ पत्र (एफिडेविड) की नोटरी द्वारा प्रमाणित मूल प्रति।
8. जाति सम्बन्धी आरक्षण के लाभार्थ तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।
9. वरीयता निर्धारण प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

2. प्रवेश योग्यता क्रम /योग्यता सूची के आधार पर दिया जायेगा और योग्यता क्रम के निर्धारण हेतु किसी भी प्रकार के आरक्षण के लाभ के लिए सम्बन्धित प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र जमा करते समय जमा होना अनिवार्य है, एक बार योग्यता सूची बन जाने के बाद आरक्षण के लाभ हेतु लाये प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

3. प्राचार्य द्वारा गठित प्रवेश समिति प्रवेशार्थी द्वारा पूर्व में अर्जित अंकों/योग्यताओं एवं साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश संस्तुत करती है। (साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र के समस्त संलग्नकों की मूलप्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है)। चयनित प्रवेशार्थियों की सूची सूचना–पट पर लगा दी जायेगी। इसी सूचना पर शुल्क जमा किये जाने सम्बन्धी अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रवेशार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त मानते हुए योग्यताक्रमानुसार निम्न प्रवेशार्थी का प्रवेश स्वीकृत कर दिया जायेगा।

4. प्रवेश शुल्क रसीद में प्रवेशार्थी द्वारा चयनित विषय अंकित होंगे। शुल्क रसीद परीक्षा आवेदन पत्र, पुस्तकालय कार्ड एवं छात्रवृत्ति आवेदन पत्र हेतु भी अनिवार्य है। अतः विद्यार्थी शुल्क रसीद को सुरक्षित रखे।

5. स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Subject Combination Group के नियमानुसार ही प्रवेश समिति द्वारा विषय संस्तुत किये जायेंगे, तथा संस्तुत विषयों में भविष्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा, क्योंकि मानकानुसार प्रत्येक विषय में सीटें निर्धारित हैं। विद्यार्थी को योग्यताक्रम के अनुसार ही विषय आबंटित किये जायेंगे।

4. विद्यार्थियों के लिए निर्देश

1. सफल प्रवेशार्थियों को सूचना पट पर निर्दिष्ट सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय/बैंक में पूरा शुल्क जमा करने के तुरन्त बाद सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करना होगा।

2. विद्यार्थी द्वारा चुने गये प्रत्येक विषय में समय सारणी (Time Table) के अनुसार व्याख्यान/ सेमिनार/ ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षायें आरम्भ होती हैं। अतः विद्यार्थी अपनी बौद्धिक समृद्धि हेतु अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित हों। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम न हों, अन्यथा उन्हें वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है।

3. प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा है कि वह महाविद्यालय के कार्यालय तथा विभागों के सूचना पट्ट का अवलोकन, महत्वपूर्ण सूचनाओं/नियमों परिनियमों के लिए करता रहे। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों/परिनियमों का पालन विद्यार्थी द्वारा अपेक्षित है।

4. विद्यार्थी की सुविधा के लिए विविध छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र नियत तिथि तक प्रभारी छात्र कल्याण के पास जमा कर देना चाहिए।

5. *विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षा गुरूकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा तथा दिल्ली बोर्ड ऑफ हायरसेकेण्ड्री स्कूल दिल्ली, से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगें ।*

वणिज्य वर्ग (B.Com.)

विश्वविद्यालय में लागू पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रश्नपत्र अनिवार्य हैं।

5. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु अनुदेश

कुमाऊँ विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत समस्त स्नातकोत्तर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों/विभागों में शैक्षणिक सत्र 2011–12 से सेमेस्टर प्रणाली लागू है। प्रत्येक सेमेस्टर में छात्र–छात्रा का आन्तरिक मूल्यांकन किया जाता है। जिसमें छात्र/छात्रा का सम्मिलित होना अनिवार्य है।

6. महाविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित रोजगार–परक/व्यावसायिक पाठ्यक्रम

समस्त रोजगार–परक/व्यासायिक पाठ्यक्रमों का उद्देश्य यू0जी0सी0 तथा राज्य सरकार द्वारा छात्र–छात्राओं को सामान्य शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक अनुभव तथा योग्यता न्यूनतम मूल्य में अवसर प्रदान करना है। ये पाठ्यक्रम मूलतः स्वरोजगार तथा निजी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।

शीघ्र ही प्रदेश सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय (NSC) द्वारा बैंकिग, बीमा, अंश एवं प्रतिभूति बाजार एवं स्टॉक एक्सचेन्ज सम्बन्धी रोजगार–परक शिक्षा हेतु एक पाठ्यक्रम का संचालन भी प्रस्तावित है।

पाठ्यक्रम	शिक्षण शुल्क	शैक्षणिक अर्हता	पाठ्यक्रम समन्वयक
डिप्लोमा इन ईको–टूरिज्म	2500.00	10 + 2 उत्तीर्ण	डॉ0 डी0एन0 जोशी, असिस्टैन्ट प्रोफेसर भूगोल, Mob. 9411846354
पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन	2500.00	10 + 2 उत्तीर्ण	डॉ0 किरन कुमार पन्त, असिस्टैन्ट प्रोफेसर वाणिज्य, Mob. 9410779508
कार्यालय प्रबन्धन एवं सचिवीय पद्धति	2500.00	10 + 2 उत्तीर्ण	डॉ0 दीपक खाती, असि0 प्रोफेसर वाणिज्य, Mob. 9411537116
एम0ए0 योग	.00	स्नातक	डॉ0 धीरेन्द्र सिंह, असि0 प्रोफेसर गणित, Mob. 9410614935
पी0जी0 डिप्लोमा इन योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा	8500.00	स्नातक	डॉ0 सुमन कुमार, असि0 प्रोफेसर समाजशास्त्र, Mob.9351159171
कम्प्यूटराइज्ड एकाउन्टिग	6000.00	10 + 2 उत्तीर्ण	डॉ0 ममता भदोला जोशी, असि0 प्रोफेसर वाणिज्य, Mob. 9719827506
टूरिज्म स्टडीज	2500.00	10 + 2 उत्तीर्ण	डॉ0 अनीता जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान, Mob. 9412959465

7. स्ववित्त पोषित बी0एड0 प्रवेश

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर में बी0एड0 के लिए स्ववित्त पोषित कार्यक्रम संचालित है। जिसमें सापेक्ष कु0 वि0 वि0 द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा की योग्यता–सूची के आधार पर वि0 वि0 द्वारा प्रवेश संस्तुत किया जाता है। बी0एड0 छात्राओं को निर्धारित गणवेश में महाविद्यालय आना अनिवार्य है।

8. प्रवेश शुल्क विवरण

क्र0 सं0	विषय	स्नातक	स्नातकोत्तर	बी0एड0
1	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	NCTE एवं शासन द्वारा निर्धारित शुल्क
2	पुस्तकालय शुल्क	3.00	10.00	
3	विकास शुल्क	20.00	20.00	
4	महंगाई शुल्क	240.00	240.00	
5	प्रयोगशाला शुल्क	240.00	240.00	
6	शिक्षण शुल्क	देय नहीं	180.00	
7	विद्युत एवं जल शुल्क	60.00	60.00	
8	मरम्मत फर्नीचर एवं रख–रखाव विविध	100.00	100.00	
9	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	
10	वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	
11	विभागीय परिषद शुल्क	50.00	50.00	
12	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	10.00	10.00	
13	परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00	
14	छात्र संघ/महासंघ	45.00	45.00	
15	रोवर रेंजर	60.00	60.00	
16	महाविद्यालय दिवस	20.00	20.00	
17	सांस्कृतिक परिषद/वि0वि0स ांस्कृतिक परिषद	45.00	45.00	
18	महाविद्यालय प्रांगण विकास	20.00	20.00	
19	कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	70.00	70.00	
20	जनरेटर शुल्क	50.00	50.00	
21	प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	60.00	60.00	
22	करियर काउन्सिलिंग	30.00	30.00	
23	प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	
24	क्रीड़ा शुल्क	300.00	300.00	
25	प्रायोगिक मौखिक शुल्क (प्रति विषय)	50.00	100.00	
26	स्नातकोत्तर विज्ञान, कला एवं वाणिज्य में डेजरटेशन शुल्क	–	200.00	
27	पर्यावरण शुल्क (स्नातक द्वितीय वर्ष)	105.00	–	

जिन विषयों में डेजरटेशन अनुशंसित है उनमें प्रति डेजरटेशन 200.00 अतिरिक्त देय होगा।

कक्षावार शुल्क विवरण :–

बी0ए0 प्रथम वर्ष रू0	:	1281.00
बी0ए0 प्रथम वर्ष (एक प्रैक्टिकल विषय) रू0	:	1681.00
बी0ए0 प्रथम वर्ष (दो प्रैक्टिकल विषय) रू0	:	1781.00
बी0ए0 प्रथम वर्ष (तीन प्रैक्टिकल विषय) रू0	:	1881.00
बी0कॉम0 प्रथम वर्ष रू0	:	1281.00
बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष (पी0सी0एम0) रू0	:	1781.00
बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष (जेड0बी0सी0) रू0	:	1881.00
एम0ए0 योग रू0	:	8000.00 **(Plus Boys Fund)**
पी0जी0 डिप्लोमा इन योग रू0	:	6000.00 **(Plus Boys Fund)**

9. परिचय–पत्र नियम

महाविद्यालय द्वारा निर्गत एवं मुख्य शास्ता अथवा प्राचार्य द्वारा अधिकृत प्राध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित परिचय पत्र महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने पास रखना विद्यार्थी का कर्त्तव्य एवं दायित्व है। महाविद्यालय परिसर में परिचय–पत्र प्रस्तुत न कर पाना अनुशासनहीनता मानी जाती है। पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधायें परिचय पत्र दिखाने पर ही उपलब्ध होंगी। बिना परिचय पत्र के छात्रसंघ निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग भी सम्भव नहीं होगा। परिचय पत्र खो जाने पर पचास रू0 (50/–) जमा करने एवं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र के साथ नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही दूसरा परिचय पत्र निर्गत होगा।

10. उपस्थिति नियम

शासनादेश संख्या 528(1) /15–(उ.शि.) 1/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार महाविद्यालय का कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह लेक्चर/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक परीक्षाओं में पृथक–पृथक 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता। बी0एड0 के प्रशिक्षार्थियों की 80% उपस्थिति अनिवार्य होगी। अन्यथा इसके अभाव में उन्हें सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा।

11. अनुशासन

अनुशासन मण्डल (Proctorial Board) महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु समय–समय पर नियम बनाये जाते हैं, जिनका पालन छात्र/छात्रा के लिए अनिवार्य है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आपके किसी भी अनुचित व्यवहार या किसी नियम के उल्लंघन पर (Proctor) आपके विरूद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। अनुशासनहीनता की स्थिति में प्रॉक्टर विद्यार्थी को दण्डित, प्रवेश से वर्जित एवं ब्लैकलिस्ट में रखकर प्राचार्य की अनुमति से निष्कासित कर सकते हैं। दुराचार एवं अनवरत प्रचार के दोषी विद्यार्थी को निलम्बित, दण्डित, निष्कासित तथा विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्था में संयमित, अनुशासित तथा परिष्कृत जीवन व्यतीत करें। नियमों एवं अपेक्षाओं की अवहेलना न करें। ऐसा कोई काम न करें जिससे शान्ति व्यवस्था या अनुशासन को धक्का लगे, या हानि पहुँचे और जिससे महाविद्यालय की छवि धूमिल हो। किसी भी विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय की सीमा में भूख हड़ताल या किसी भी अन्य प्रकार की हड़ताल का आश्रय लेकर अनुशासनहीनता की कार्यवाही मानी जायेगी। जिसके लिए उसे महाविद्यालय से स्वतः निष्कासित माना जायेगा।

छात्र/छात्राएं निम्नलिखित बातों पर प्रमुख ध्यान दें :

1. कक्षा व परिसर में धूम्रपान, तम्बाकू, पान, गुटका, शराब आदि का सेवन न करें।
2. संस्थान के भवन व अन्य सामग्रियों को क्षति न पहुँचायें।
3. दीवारों, दरवाजों व मेजों पर न लिखें व उन पर इश्तिहार न लगायें।
4. शास्ता द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन न करें।
5. वचन व कर्म द्वारा हिंसा अथवा बल प्रयोग की धमकी न दें।
6. अन्य विद्यार्थियों के साथ अशिष्ट व्यवहार न करें।
7. कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार न करें।
8. ऐसा कोई भी कार्य करने की कुचेष्टा न करें, जिससे महाविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुँचे।
9. कक्षा कक्षों में मोबाइल न ले जायें। महाविद्यालय भवन में मोबाइल से तस्वीर खींचना एवं संगीत सुनना पूर्णतः वर्जित है।
10. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे स्वच्छ बनाये रखने में सहयोग दें तथा महाविद्यालय भवन की दीवारों एवं चहारदीवारी पर पोस्टर आदि न चिपकायें।
11. महाविद्यालय में विद्यार्थी निर्धारित गणवेश में ही उपस्थित होवें, प्रायः यह देखा गया है कि विद्यार्थी नेकर, कैप्री, वरमूड़ा जैसी वेशभूषा पहनकर कॉलेज आते हैं, जो कि गरिमामय नहीं है।

12. रैगिंग– पाबन्दी

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी रैगिंग को अमानवीय, असामाजिक एवं अपराधिक कृत्य मानते हुए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं। इनके अनुपालन में महाविद्यालय ने रैगिंग पर पूर्ण पाबन्दी सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय के प्राध्यापकों की एक रैगिंग विरोधी समिति (Anti Ragging Committee) का गठन किया गया है। रैगिंग का तात्पर्य हैः लिखकर, बोलकर, हावभाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी विद्यार्थी को कष्ट पहुँचाना (किसी विद्यार्थी को भौतिक रूप से प्रताड़ित करना (नवागन्तुक एवं अपने से कनिष्ठ विद्यार्थियों को डराना, धमकाना, हतोत्साहित करना, उनके क्रिया–कलापों में अवरोध उत्पन्न करना, परेशान करना, मानसिक क्लेश पहुँचाना, उन्हें ऐसे कृत्य करने के लिए बाध्य करना जिन्हें वे सामान्य दशा में नहीं करते अथवा जिन्हें करके वे शर्मिन्दित होते हों, दुखी होते हों और ऐसा करके उनके भौतिक एवं मानसिक स्वास्थय पर बुरा असर पड़ता हो, तथा रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना। रैगिंग में लिप्त पाये गये विद्यार्थी के विरूद्ध अपराध की गम्भीरता के अनुसार निम्नलिखित दण्डात्मक कार्यवाइयों का प्रावधान है। (1) प्रवेश निरस्तीकरण, (2) कक्षा से निलम्बन एवं परीक्षा देने पर प्रतिबन्ध, (3) छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं पर रोक, (4) छात्रावास से निष्कासन, (5) रू0 25,000–00 का जुर्माना, (6) संस्थान से निष्कासन एवं किसी अन्य संस्था में प्रवेश पर प्रतिबन्ध, (7) न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना, आदि।

13. छात्र कल्याण

(1) **बस कन्सेशन** – महाविद्यालय के नियमित छात्र–छात्राओं को उत्तराखण्ड सरकार के नियमानुसार उत्तराखण्ड परिवहन के बस के लिए कन्सेशन सुविधा उपलब्ध है।

(2) **शुल्क मुक्ति** – निर्धन एवं मेधावी छात्रों को शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है। दो या दो से अधिक पढ़ रहे सगे भाईयों में से एक या दो को अर्द्ध शुल्क मुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। शुल्क मुक्ति के सम्बन्ध में सूचना यथा समय सूचना पट पर लगायी जाती है। शुल्क मुक्ति उसी दशा में जारी रह सकेगी, जब तक कि छात्र की प्रगति निरन्तर संतोषप्रद , अध्ययन नियमित, आचरण उत्तम तथा प्रत्येक माह में उपस्थित कम से कम 75% हो। प्राचार्य को किसी भी समय बिना कारण बताये इस सुविधा को समाप्त करने का अधिकार है।

(3) **छात्रवृत्ति** – महाविद्यालय द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियां एवं अनुदान प्रदान की जाती हैं। अतः छात्रों को दरों, अर्हताओं एवं नियमों की जानकारी हेतु प्रभारी प्राध्यापक एवं कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए। छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75% प्रतिमाह होनी आवश्यक है। राजाज्ञानुसार छात्र को एक ही प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है। महाविद्यालय द्वारा वितरित प्रमुख छात्रवृत्तियां एवं अनुदान निम्नवत् हैं :

(i) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति – यह छात्रवृति उक्त वर्ग के उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो महाविद्यालय के नियमित छात्र हैं। यह छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

(ii) विकलांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति – यह छात्रवृत्ति कम से कम 40% से अधिक प्रमाणित विकलांगता वाले महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को दी जाती है। छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रार्थना–पत्र कार्यालय से प्राप्त कर आय प्रमाण पत्र एवं विकलांगता प्रमाणपत्र सहित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। यह छात्रवृत्तियां जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

नोट :– छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75% होनी आवश्यक है।

14. पुस्तकालय, बुक–बैंक एवं वाचनालय

महाविद्यालय में लगभग 55,000 पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय है। पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे खुलता है। संकाय एवं कक्षावार पूर्व सूचित तिथि तथा अवधि में पुस्तक निर्गत की जाती है। बुक बैंक व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यार्थी पूरे शिक्षा सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवस्था में निर्धन, निर्बल, पिछड़ी जाति, अवकाश प्राप्त सैनिक एवं प्राथमिक पाठशाला के अध्यापकों आश्रित संस्थागत विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। निर्गत पुस्तकों के मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि विद्यार्थी द्वारा सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य है। वाचनालय पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक खुला रहता है। वाचनालय में प्रवेश करते ही विद्यार्थी को उपस्थित पंजिका में अपना नाम अंकित करना चाहिए। वाचनालय में पूर्ण शान्ति बनायी रखी जानी चाहिए।

15. शिक्षणेत्तर एवं पाठ्यसहगामी कार्यकलाप

विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु महाविद्यालय में निम्नलिखित शिक्षणेत्तर एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ संचालित की जाती है।

(1) **राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme)** – इसमें नियमित एवं विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिनमें विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्य, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्य करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना युवा शक्ति को देशहित एवं जनहित में लगने एवं सामजिक विषयों पर जनजागरण का माध्यम है। वर्तमान में महाविद्यालय में एन0एस0एस0 की साढ़े तीन इकाईयां पंजीकृत हैं। जिनमें अधिकतम प्रवेश स्थान 350 हैं।

(2) **राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps)** – इसके अन्तर्गत छात्र एवं छात्राओं को अर्द्धसैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय में एन0सी0सी0 की 79 UK Bn, Nainital तथा 24 Girls Bn, Almora की एक–एक ईकाइयाँ कार्यरत हैं। जिसमें अधिकृत प्रवेश संख्या क्रमशः 105 तथा 55 कैडेट्स की हैं।

(3) **रोवर्स एण्ड रेंजर्स (Rpvers amd Rangers)** – यह स्काउट एण्ड गाइड की सीनियर शाखा होती है। महाविद्यालय में संचालित है।

(4) **क्रीड़ा परिषद** – महाविद्यालय में खेलकूद के स्तर में विकास एवं छात्रों की खेलों के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के उद्देश्य से क्रीड़ा परिषद की स्थापना की गयी है। परिसर में विभिन्न खेल–कूद की सुविधा उपलब्ध है।

(5) **सांस्कृतिक परिषद** – प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाता है। इसकी कार्यकारिणी में प्रमुख भूमिका महाविद्यालय के सांस्कृतिक क्रिया–कलापों में अभिरूचि रखने वाले छात्रों की रहती है। सांस्कृतिक परिषद विभिन्न अवसरों पर विविध कार्यक्रम तथा सत्रान्त में विशेष समारोह का आयोजन करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गोष्ठी, परिचर्चा, वाद–विवाद प्रतियोगिता, नाटक, संगीत, नृत्य आदि प्रमुख हैं।

(6) **महाविद्यालय पत्रिका** – महाविद्यालय पत्रिका का प्रकाशन *'अभिव्यक्ति'* के नाम से किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में लेखन प्रतिभा का विकास करना है। छात्रों को चाहिए कि वे प्रवेश लेने के दो माह बाद अपनी रचनायें पत्रिका सम्पादक को दे दें। सम्पादकों से रचना व लेख आदि के लिये परामर्श भी कर लेना चाहिये। इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों में से सम्पादक भी चुना जाता है। इसके लिये विशेष पुरस्कारों की व्यवस्था भी है। रचनायें देते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि रचनायें मौलिक रूप में ए–4 कागज पर केवल एक ओर उचित हाशिया छोड़कर सुलेखबद्ध होनी चाहिए।

(6) **विभागीय परिषदें** – प्रत्येक विभाग में एक विभागीय परिषद होती है और उस विभाग के समस्त विद्यार्थी परिषद के सदस्य होते हैं। विभागीय परिषद के तत्वाधान में निबन्ध, वाद–विवाद प्रतियोगिता, विचार–गोष्ठी एवं अन्य उपयोगी कार्यकलाप संचालित किये जाते हैं।

(7) **प्रसार व्याख्यान माला** – इसके अन्तर्गत छात्रों के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि के लिये विभिन्न महत्वपूर्ण विषय पर योग्य विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं।

(8) **सेमिनार** – महाविद्यालय में समय–समय पर विभागीय स्तर पर सेमिनार किये जाते हैं, जिनमें विद्यार्थी को अपना आलेख प्रस्तुत करने, परिचर्चा करने एवं शोध के क्षेत्र में प्रगति करने हेतु निर्देश दिया जाता है।

16. नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर

यू0जी0सी0 नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर भी महाविद्यालय परिसर में स्थापित है। इसका उद्देश्य शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों में कम्प्यूटर विशेष रूप से शिक्षण कार्य में मल्टीमीडिया के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इस सेन्टर में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

17. कैरियर काउन्सिलिंग सैल

महाविद्यालय में कैरियर काउन्सिलिंग सैल की स्थापना की गयी है। जिसके अन्तर्गत छात्रों को रोजगार के अवसरों व क्षेत्रों में निःशुल्क जानकारी दी जाती है।

18. ब्लड डोनर्स एसोसिएशन

महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के लिये ऐच्छिक यह संस्था रोगी एवं जरूरतमंद व्यक्तियों अथवा चिकित्सकों/चिकित्सालयों द्वारा सम्पर्क किये जाने पर संदर्भित रक्त समूह के रक्तदाता उपलब्ध कराने की चेष्टा करती है। एसोसिएशन की सदस्यता की इच्छुक विद्यार्थियों को अपने रक्त समूह परीक्षण सर्टिफिकेट के साथ सम्बन्धित प्रभारी से सम्पर्क करना चाहिए।

19. छात्र संघ

महाविद्यालय के समस्त संस्थागत छात्र/छात्राओं का छात्र संघ है, जिसके पदाधिकारियों का निर्वाचन प्रतिवर्ष लिंगदोह समिति के नियमों के अन्तर्गत कु0वि0वि0 के संविधान के अनुसार किया जाता है। छात्र–संघ के तत्वाधान में सांस्कृतिक परिषद के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

20. छात्रावास हेतु प्रवेश नियम

1. महाविद्यालय में 80 छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध है।
2. महाविद्यालय में नियमित प्रवेश के बाद छात्रावास में मात्र एक सत्र के लिए प्रवेश हेतु प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
3. उन छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके हाईस्कूल से अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा तक प्राप्तांकों का प्रतिशत उत्तम रहा है।
4. अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व एवं बाद में एक वर्ष से अधिक वर्षों का अवरोध होने पर छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. छात्रावास में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दिया जायेगा जिनका स्थायी निवास महाविद्यालय से 15 कि0मी0 की परिधि के बाहर होगा। जिस प्रार्थी के अभिभावक/पिता का मकान इस परिधि में आता हो उन्हें प्रवेश देय नहीं होगा।
6. रोजगार में संलग्न अथवा व्यवसाय करने वाले छात्रों को प्रवेश देय नहीं होगा।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्रों को नियमानुसार प्रवेश में आरक्षण दिया जायेगा। बशर्ते वे प्रवेश हेतु योग्यता रखते हों।
8. जिन छात्रों के विरूद्ध अनुशासन सम्बन्धी शिकायत होगी/आचरण असन्तोषजनक समझा जायेगा, जो छात्र नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा अभियोग में दण्डित किये गये हों या उक्त से सम्बन्धित न्यायालय में वाद चल रहा हो उन्हें प्रवेश देय नहीं है।
9. यदि महाविद्यालय प्रशासन यह अनुभव करता है कि छात्र विशेष का प्रवेश छात्रावास के हित में नहीं है तो बिना कारण बताये उसके प्रवेश आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
10. प्रवेश के सम्बन्ध में प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट : छात्रावास में प्रवेश नितान्त अस्थाई होगा। प्रवेश के नियम व शर्ते छात्रावास आवेदन पत्र के साथ संलग्न होंगी।

21. पर्यावरण शिक्षा

माननीय उच्चतम न्यायालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशानुसार सत्र 2004–05 से स्नातक स्तर के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अतिरिक्त विषय के रूप में पर्यावरण विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से लेना होगा। पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा 50 अंक की होगी। इस परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। इनमें प्राप्त अंक निर्धारण में संम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

22. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 31 अक्टूबर 2005 उत्तराखण्ड विधेयक (अधिनियम संख्या–23) के अनुसार हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के लिये ज्ञान प्रचारित तथा प्रसारित करना है, और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर अधिक से अधिक लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय हल्द्वानी (नैनीताल) में स्थित है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र रामनगर

महाविद्यालय में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 2010 में हुई थी। वर्तमान समय में प्राचार्य डॉ0 एम0सी0 पाण्डेय जी के संरक्षण में डॉ0 किरन कुमार पन्त, डॉ0 भावना पन्त समन्वयक के रूप में एवं डॉ0 प्रमोद कुमार पाण्डे, सह–समन्वयक के रूप में अध्ययन केन्द्र को अपनी सेवायें दे रहे हैं।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश दिनांक 01 जुलाई 2020 से प्रारम्भ होंगे, जो कि 15 अगस्त तक बिना विलम्ब शुल्क के प्रवेश किये जा सकेंगे। अधिक जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uou.ac.in का अवलोकन (Link) कर सकते हैं, तथा महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र में डॉ0 किरन कुमार पन्त, समन्वयक, मोबाइल नं0 9410779508 व डॉ0 प्रमोद कुमार पाण्डे, सह–समन्वयक 9412124461 से सम्पर्क कर सकते हैं।

अध्ययन केन्द्र की स्थापना के समय छात्र संख्या 29 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 1000 से अधिक पहुँच चुकी है। अध्ययन केन्द्र (16022) में वर्तमान में निम्नलिखित कोर्स संचालित हो रहे हैं।

1. बी0ए0
2. बी0एस–सी0 (पी0सी0एम0 / जेड0बी0सी0)
3. बी0कॉम0
4. बी0ए0 योग
5. एम0 कॉम0
6. एम0ए0
7. डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ & कम्यूनिटी न्यूट्रीशन
8. डिप्लोमा इन योगा & नेचुरापैथी
9. सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिका फूड एण्ड न्यूट्रिशन
10. सर्टिफिकेट इन यौगिक साइंस
11. पी0जी0 डिप्लोमा इन डिजास्टर मैंनेजमेन्ट
12. मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम0बी0ए0)
13. बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी0बी0ए0)
14. एम0एस–सी0

23. EDUSAT

उत्तराखण्ड शासन की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत विशिष्ट शिक्षण कक्षाओं को उपग्रह तकनीकी उपयोगों द्वारा महाविद्यालय में Satellite Information Terminal (SIT) से उपलब्ध कराया जाता है।

24. परिचय पत्र / चरित्र प्रमाण पत्र / स्थानान्तरण प्रमाण पत्र

1. **परिचय पत्र** – संस्था के प्रमाणित छात्र होने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा, और इसे हमेशा अपने साथ रखना होगा। परिसर में कभी भी प्रॉक्टोरियल बोर्ड, प्राचार्य द्वारा विद्यार्थी से परिचय पत्र माँगा जा सकता है। परिचय पत्र न दिखा पाने की स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जायेगा एवं परिसर से निष्कासित कर दिया जायेगा। परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में दण्डस्वरूप रू0 50 / – शुल्क जमाकर पुनः नियमानुसार परिचय पत्र महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
2. **चरित्र प्रमाण पत्र** – चरित्र प्रमाण पत्र पूरे शिक्षा सत्र में केवल दो बार दिया जायेगा – (1) छः महीने से अध्ययनरत का एवं (2) परीक्षाफल निकलने के बाद का। चरित्र प्रमाण पत्र मुख्य शास्ता (Chief Proctor) की संस्तुति पर दिया जाता है परन्तु यदि किसी विद्यार्थी का चरित्र महाविद्यालय में ठीक नहीं रहा है, तो मुख्य शास्ता अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं दे सकेंगे।
3. **स्थानान्तरण प्रमाण पत्र** – इस के लिए छात्र को निर्धारित फार्म पर प्राचार्य को प्रार्थना पत्र देना होगा तथा आवश्यक शुल्क जमा करना होगा। सामान्यतः प्रार्थना पत्र देने के 03 दिन बाद ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

25. अभिभावक–प्राध्यापक संगठन (पी0टी0ए0) : ''विमर्श''

अभिभावकों, प्राध्यापकों , वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध सदस्यों का यह संगठन महाविद्यालय की विविध समस्याओं के निस्तारण एवं अभिभावकों, प्राध्यापकों, वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध सदस्यों का यह संगठन महाविद्यालय की विविध समस्याओं के निस्तारण एवं शैक्षणिक वातावरण के उत्तरोत्तर परिष्कर सम्बन्धी विमर्श हेतु स्थापित है। 'विमर्श' का मुख्य उद्देश्य इस शिक्षण संस्था के प्रति बृहत्तर सामुदायिक धारण का ज्ञान, अपनी सामर्थ्य एवं सीमा का रेखांकन तथा अपेक्षित परिवर्तन की दशा में अग्रसर होने सम्बन्धी संकेत प्राप्त करना।

26. यौन उत्पीड़न प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में महिला अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्राओं से सम्बन्धित विभिन्न शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रकोष्ठ सक्रिय है।

27. भविष्य कार्य योजना

छात्र–छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना तथा महाविद्यालय का परीक्षाफल 100 प्रतिशत पहुँचाना, उच्च शैक्षणिक स्तर तैयार करना। छात्रों हेतु ई–लाइब्रेरी तैयार करना।

28. शोध सुविधा

महाविद्यालय में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के नियमानुसार कला, विज्ञान तथा वाणिज्य संकायों के विभिन्न विषयों में विभिन्न प्राध्यापकों के निर्देशन में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध हैं।

29. महाविद्यालय परिवार

संरक्षक : डॉ0 मोहन चन्द्र पाण्डेय, प्राचार्य

हिन्दी विभाग :–
1. डॉ0 प्रीति त्रिवेदी
2. डॉ0 जी0सी0 पन्त
3. कु0 भावना अग्रवाल (अतिथि प्राध्यापक)
4. रिक्त

अंग्रेजी विभाग :–
1. श्री प्रकाश सिंह बिष्ट (संविदा प्राध्यापक)
2. रिक्त
3. रिक्त

संस्कृत विभाग :–
1. डॉ0 मूलचन्द्र शुक्ल

अर्थशास्त्र विभाग :–
1. डॉ0 अनुमिता अग्रवाल
2. डॉ0 कृष्णा भारती
3. रिक्त

भूगोल विभाग :–
1. डॉ0 अभिलाषा कनौजिया
2. डॉ0 अनुराग श्रीवास्तव
3. डॉ0 डी0एन0 जोशी

इतिहास विभाग :–
1. डॉ0 संजय कुमार
2. डॉ0 जया भट्ट
3. डॉ0 शरद भट्ट
4. डॉ0 अखिलेश भट्ट (अतिथि प्राध्यापक)

राजनीति विज्ञान विभाग :–
1. डॉ0 आर0एस0 कनौजिया
2. डॉ0 जे0पी0 त्यागी
3. डॉ0 मीनाक्षी नेगी (अतिथि प्राध्यापक)

मनोविज्ञान विभाग :–
1. डॉ0 रामदुलार सिंह
2. डॉ0 अनीता जोशी
3. डॉ0 कुसुम लता
4. रिक्त

समाजशास्त्र विभाग :–
1. डॉ0 योगेश चन्द्र
2. डॉ0 सुमन कुमार
3. श्री प्रभदीप सिंह (अतिथि प्राध्यापक)
4. डॉ0 विजया नन्द (संविदा प्राध्यापक)

गृहविज्ञान विभाग :–
1. डॉ निवेदिता अवस्थी

संगीत विभाग :–
1. डॉ शिप्रा पन्त

रसायन विज्ञान विभाग :–
1. डॉ0 जगमोहन सिंह नेगी
2. डॉ0 नवभा जोशी (संवदि प्राध्यापक)

भौतिक विज्ञान विभाग :–
1. डॉ0 सुभाषचन्द्र पोखरियाल
2. डॉ0 आलोक कण्डारी (संविदा प्राध्यापक)
3. डॉ0 इला जोशी (अतिथि प्राध्यापक)

गणित विज्ञान विभाग :–
1. डॉ0 प्रमोद कुमार जोशी
2. डॉ0 धीरेन्द्र सिंह

जन्तु विज्ञान विभाग :–
1. डॉ0 भावना पन्त
2. डॉ0 रागिनी गुप्ता (अतिथि प्राध्यापक)

वनस्पति विज्ञान विभाग :–
1. डॉ0 सिद्धेश्वर सिंह मौर्य
2. डॉ0 पी0सी0 पालीवाल

वाणिज्य संकाय :–
1. डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार
2. डॉ0 किरन कुमार पन्त
3. डॉ0 दीपक खाती
4. डॉ0 ममता भदोला जोशी
5. डॉ0 अर्जुन रवि

कार्यालय (स्टॉफ) : कार्मिक
1. श्री रमेश चन्द्र तिवारी – मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
2. श्री मोहन सिंह बिष्ट– वरि.प्रशा. अधिकारी
3. ,, जगदीश चन्द्र बलोदी – वैयक्तिक अधिकारी
4. ,, पूरन चन्द्र सती – वरिष्ठ सहायक
5. ,, रणजीत सिंह मटियाली– विद्युतकार
6. ,, मोहन सिंह नेगी – लिपिक (उपनल)

प्रयोगशाला : कार्मिक
1. श्री सुभाष चन्द्र, प्रयो0 सहायक–मनोविज्ञान
2. डॉ0 प्रमोद कुमार पाण्डे ,, ,, – भौतिक वि0
3. श्रीमती पूजा कार्की ,, ,, – जन्तु वि0
4. श्रीमती अर्चना ,, ,, – भूगोल
5. कु0 अर्पिता वत्सल ,, ,, – गृहविज्ञान
6. श्री नन्दन सिंह रौतेला ,, ,, – रसायनवि0
7. श्री राजेन्द्र सिंह ,, ,, –भौतिक वि0
8. श्री गोविन्द मेवाड़ी संगीत विभाग तबला वादक
9. किशन सिंह ,, ,, – मनोविज्ञान
10. श्री आकाश लाल ,, ,,– भौतिक वि0
11. श्री राम सिंह ,, ,, – रसायन वि0
12. धरम सिंह ,, ,, – जन्तु वि0
13. श्रीमती राधिका देवी ,, ,, – वनस्पति वि0
14. श्रीमती कमला जोशी प्रयो0 अनुसेवक–जन्तु वि0

पुस्तकालय (स्टॉफ) : कार्मिक
1. पुस्तकालय प्रभारी – रिक्त
2. श्री धन सिंह – अनुसेवक
3. ,, बलवन्त राम – अनुसेवक
4. ,, नागेन्द्र सिंह – अनुसेवक

अनुसेवक / स्वच्छक
1. ,, हुकम सिंह – अनुसेवक
2. ,, विजय सिंह – अनुसेवक
3. ,, श्री हरी सिंह – माली
4. श्रीमती गौसिया खानम – अनुसेवक
5. ,, किरन – स्वच्छक
6. ,, दर्शन सिंह – अनुसेवक (उपनल)
7. ,, इमरान खान – अनुसेवक (उपनल)
8. ,, प्रकाश चन्द्र – अनुसेवक (उपनल)
9. ,, सुशील कुमार – चौकीदार (उपनल)
10, ,, सौरभ – स्वच्छक